

प्रेषक,

महाराष्ट्र पाठ्य,  
विद्यालय विषय  
उत्तर प्रदेश शासन ।

संवाद में

संविषय,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 संगठन केन्द्र  
प्री-त्रिविभाग, नईदिल्ली ।

शिक्षा 17। अनुभाग

लघुनक्षत्र: दिनांक: 21 अप्रैल, 2003

विषय:- मेरठ परिवाक गल्स स्कूल शास्त्रीनगर मेरठ को सी०बी०स्त०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय को और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधालय को सी०बी०स्त०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1।।। विधालय की पंजीकृत संसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1।।।। विधालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1।।।।। विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न व्याख्याओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1।।।।।। संस्था द्वारा राज्य सरकार से जिती अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और धार्दि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/जौसिल कार टि इण्डियन स्कूल सटीफिलैट इकजा मिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों वी संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- १५। संस्था प्राइवेट एवं गोपनीयतार वर्मिहरियों को राजीय सहायता प्राप्त  
गोपनीय संस्थाओं के लम्हों रियों के अनुमन्य देतनमानों तथा अन्य अल्लों  
से कम वतनमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे ।
- १६। वर्मिहरियों की सेवा अंत बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त  
अभिसाकीय उच्चतर मान्यमिक विद्यालयों के वर्मिहरियों की अनुमन्य  
सेवा नवाचित्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा सम्प्रभव पर जो भी अट्टेश्वर निर्गत किये जायेंगे  
संस्था उनका पालन करेगी ।
- १८। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाम् में रखा जायेगा ।
- १९। उक्त शतांश में राज्य सरकार के पूर्वानुसूदान के बिना कोई परिवर्तन/  
संशोधन/परिवर्द्धन नहीं गिया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यहाँ  
जिसी सम्प्रभव यह पाल्य है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया  
जा सकता है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूस या शुद्धिलता बरती जा सकती  
है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। महापीर यादव ।  
विशेष सचिव ।

पृ० स०-इरम । १९९ । । । / १५-७-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित ले सूचनाएँ स्वै अवश्यक लार्यवाही हेतु प्राप्तिः—

- १- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।  
२- मण्डलीय संघुकात शिक्षा निदेशक, मेरठ ।  
३- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।  
४- निरीक्षक, अंग्रेज भूरतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।  
५- प्रबंधन, मेरठ प्राक्षिक गल्ली स्कूल शास्त्रीनगर मेरठ ।  
६- गोड्ड बुक ।

। अ. का. स.  
। महापीर यादव ।  
। विशेष सचिव ।